भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2903
मंगलवार, 10 मार्च, 2026/19 फाल्गुन, 1947 (शक) को उत्तरार्थ

'नाबार्ड' का कम्प्यूटरीकरण

2903. डॉ. संबित पात्राः

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के कंप्यूटरीकरण के मूल्यांकन के लिए कोई नीति या संस्थागत तंत्र स्थापित और विकसित किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त निगरानी तंत्र की व्यवस्था में 'नाबार्ड' और अन्य सहकारी संस्थानों के योगदान का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त बैंकों के कंप्यूटरीकरण के लिए सरकार के पास विचाराधीन प्रस्तावों की संख्या कितनी है और स्वीकृत किए गए प्रस्तावों की संख्या सहित राज्य और संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त बैंकों के कंप्यूटरीकरण के लिए आवंटित, जारी और उपयोग की गई निधि का बैंक-बार ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क) और (ख) जी हां, मान्यवर । सरकार ने कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (एआरडीबी) के कंप्यूटरीकरण के लिए "आईटी इंटरवेंशंस द्वारा सहकारी समितियों का सशक्तीकरण" नामक एक केंद्रीय प्रायोजित परियोजना अनुमोदित की है । स्थायी वित्त समिति (एसएफसी) ने दिनांक 06.10.2023 को आयोजित अपनी बैठक में इस प्रस्ताव पर विचार किया और इसकी सिफारिश की । इस परियोजना के अधीन अब तक, केवल 10 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों ने कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों की सभी इकाइयों के कंप्यूटरीकरण के लिए भाग लिया है । कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नाबार्ड के सहयोग से नेशनल यूनिफाइड सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर (एनयूएसवी) द्वारा विकसित राष्ट्र-स्तरीय ईआरपी-आधारित सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है जो प्रतिभागी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों की आवश्यकताओं जरूरतों के अनुसार अनुकूलन योग्य है । कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के कंपयूटरीकरण परियोजना की कुल अनुमानित लागत 119.40 करोड़ रुपये है । इस परियोजना में हार्डवेयर प्रापण, डिजिटलीकरण, सॉफ्टवेयर अनुकूलन, साइबर सुरक्षा, डेटा सेंटर सहयोग और केंद्रीय परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) की स्थापना का प्रावधान है ।

नाबार्ड ने कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के लिए राष्ट्र-स्तरीय ईआरपी-आधारित सॉफ्टवेयर विकसित किया है जिसे परियोजना के अधीन कार्यान्वयन के लिए अपनाया गया है । इसके अलावा, सहकारिता मंत्रालय नाबार्ड और एनयूएसवी के माध्यम से अनुकूलन और रोलआउट में तकनीकी सहायता और डोमेन विशेषज्ञता प्रदान कर रहा है । मंत्रालय के अधीन केंद्रीय पीएमयू नाबार्ड के परामर्श से परियोजना कार्यान्वयन की निगरानी करता है । राज्य सरकारें/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन और संबंधित कृषि और ग्रामीण विकास बैंक समन्वय, सॉफ्टवेयर को अंतिम रूप देने, हार्डवेयर प्रापण और फील्ड-स्तरीय कार्यान्वयन में शामिल हैं ।

(ग) और (घ) परियोजना के अधीन अनुमोदित प्रस्तावों और भाग लेने वाले 10 राज्यों के साथ-साथ जारी की गई निधियों का ब्योरा निम्नानुसार है:-

राज्य का नाम	वित्तीय वर्ष 2023-24 में जारी धनराशि	वित्तीय वर्ष 2024-25 में जारी धनराशि	वित्तीय वर्ष 2025-26 में जारी धनराशि	कुल जारी धनराशि
गुजरात	-	0.82	0.47	1.29
हरियाणा	-	0.76	-	0.76
हिमाचल प्रदेश	-	0.56	0.48	1.04
कर्नाटक	0.80	-	0.48	1.28
पुडुचेरी	0.04	-	0.07	0.11
पंजाब	0.47	-	0.95	1.42
राजस्थान	-	0.67	0.48	1.15
तमिलनाडु	-	1.49	0.48	1.97
त्रिपुरा	0.04	-	0.10	0.14
उत्तर प्रदेश	1.27	-	0.48	1.75
कुल	**2.62**	**4.30**	**3.97**	**10.89**

*****